न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 54/2022

श्री सतीश चन्द आसोपिया पुत्र स्व0 श्री लालाराम जी उम्र करीबन 58 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी गली नम्बर 08, शिवजी नगर, आदर्श नगर अजमेर उचित मूल्य की दुकान कोड 21820 विज्ञान नगर, अजमेर शहर अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी (प्रथम), अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः— 1. श्री मुकेश यादव, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 10.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी/प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निवर्तमान जिला रसद अधिकारी अजमेर को एक शिकायत पत्र रसद परिवहन कर्ता/ठेकेदार के विरूद्ध दिनांक 09.05.2022 के उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओ के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई, जिस पर तत्कालीन क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक श्री राहुल भॉवरिया से जांच करवा कर जॉच रिपोर्ट चाही गई। उक्त श्री राहुल भॉवरिया द्वारा दिनांक 10.05.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली हुई, उक्त जांच रिपोर्ट के कम में कार्यालय के पत्र कमांक रसद/वितरण/2022/6798 दिनांक 13.08.2022 द्वारा प्रबधक राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से एफ.सी.आई एवं आर.एस.डब्ल्यू.सी. के अधिकारी/प्रतिनिधी की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकान कोड 21820 पर परिवहन कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये गेहूँ का भौतिक सत्यापन व मिलान की रिपोर्ट चाही गई, उक्त अधिकारी के पत्र कमांक खा.ना.आ.नि./अज/पी.डी.एस 2022/785 दिनांक 18.05.2022 की रिपोर्ट प्राप्त होना उसे शामिल पत्रावली होना वर्णित किया गया। उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 व रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 की जॉच रिपोर्ट अनुसार (1) खाद्य निगम परिवहन कर्ता भास्कर इण्डस्ट्रीज द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2022 को 9034 की आपूति मानते हुए केवल 3200 किग्रा गेहूँ का ही इन्द्राज माना गया शेष गेहूँ पूर्व का प्राप्त होना बताया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी को 5834 किग्रा गेहूँ प्राप्त होने पर भी उसका इन्द्राज पोस मशीन में नही करने व वितरण नही करना माना गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी के बयानो व परिवहन कर्ता के पत्रो अनुसार अप्रार्थी को परिवहन कर्ता द्वारा गेहूँ भेजा जाना व उसे अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना परिलक्षित होना दर्शाया गया। अपीलार्थी अप्रार्थी जो प्रत्यर्थी द्वारा बार

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

बार निर्देशित करना व लाभार्थियो को गेहूँ वितरण नहीं करने व माह अप्रैल पी एम जी के ए वाये का गेहूँ प्राप्त करने से वंचित होना उक्त रिपोर्ट में बताया गया। उक्त रिपोर्ट पर आधारित होकर प्रत्यर्थी द्वारा जरिये कार्यालय आदेश कमांक 246/दिनांक 27.05.2022 को अपीलार्थी/अप्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर दिया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी/अप्रार्थी/प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निवर्तमान जिला रसद अधिकारी अजमेर को एक शिकायत पत्र रसद परिवहन कर्ता/ठेकेदार के विरूद्व दिनांक 09.05.2022 के उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओ के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई, जिस पर तत्कालीन क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक श्री राहुल भॉवरिया से जांच करवा कर जॉच रिपोर्ट चाही गई। उक्त श्री राहुल भॉवरिया द्वारा दिनांक 10.05.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली हुई, उक्त जांच रिपोर्ट के कम में कार्यालय के पत्र कमांक रसद/वितरण/2022/6798 दिनांक 13.08.2022 द्वारा प्रबधक राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से एफ.सी.आई एवं आर.एस. डब्ल्यू.सी. के अधिकारी/प्रतिनिधी की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकान कोड 21820 पर परिवहन कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये गेहुँ का भौतिक सत्यापन व मिलान की रिपोर्ट चाही गई, उक्त अधिकारी के पत्र कमांक खा.ना.आ.नि./अज/पी.डी.एस 2022/785 दिनांक 18.05.2022 की रिपोर्ट प्राप्त होना उसे शामिल पत्रावली होना वर्णित किया गया। उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 व रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 की जॉच रिपोर्ट अनुसार (1) खाद्य निगम परिवहन कर्ता भास्कर इण्डस्ट्रीज द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 01.05.2022 को 9034 की आपूति मानते हुए केवल 3200 किग्रा गेहूँ का ही इन्द्राज माना गया शेष गेहूँ पूर्व का प्राप्त होना बताया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी को 5834 किग्रा गेहूँ प्राप्त होने पर भी उसका इन्द्राज पोस मशीन में नही करने व वितरण नहीं करना माना गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी के बयानो व परिवहन कर्ता के पत्रो अनुसार अप्रार्थी को परिवहन कर्ता द्वारा गेहूँ भेजा जाना व उसके अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना परिलक्षित होना दर्शाया गया। अपीलार्थी अप्रार्थी जो प्रत्यर्थी द्वारा बार बार निर्देशित करना व लाभार्थियो को गेहूँ वितरण नहीं करने व माह अप्रैल पी एम जी के ए वाये का गेहूँ प्राप्त करने से वंचित होना उक्त रिपोर्ट में बताया गया। उक्त रिपोर्ट पर आधारित होकर प्रत्यर्थी द्वारा जरिये कार्यालय आदेश कमांक 246/दिनांक 27.05.2022 को अपीलार्थी/अप्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर दिया एवं उक्त अपीलाधीन प्रकरण दर्ज किया जाकर कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.06.2022 को जारी कर दिनांक 10.06.2022 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें दिनांक 10.06.2022 को आगामी पेशी दिनांक 20.06.2022 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक राहुल भॉवरिया से रिपोर्ट चाही जो दिनांक 07.07.2022 को तथाकथित रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उक्त रिपोर्ट व प्रबन्धक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से वांछित चालान की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त होना बताया। श्री नीरज जैन, प्रभारी अभियोजन शाखा के कार्यालय के पत्र कमांक 13552 दिनांक 24.08.2022 एवं स्मरण पत्र कमांक 13973

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक 15.09.2022 द्वारा प्रकरण में चाही तथ्यात्मक रिपोर्ट जो श्री नीरज जैन द्वारा दिनांक 20.09.2022 को प्रस्तुत की गई, के अनुसार परिवहन कर्ता एवं उचित मुख्य दुकानदार अपीलार्थी/अप्रार्थी के मध्य आपसी मिलीभगत होने, भारतीय खाद्य निगम से खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा दुकान पर आवंटित समस्त गेहूँ का उठाव किया गया, जांच एवं एफ पी एस को दिनांक 01.05.2022 को 9034 किग्रा गेहूँ आपूर्ति माना जाकर रसीद मात्र 3200 किग्रा की ही दिया जाना माना गया तथा शेष गेहूँ 5834 किग्रा गेहूँ पोस मशीन में दर्ज नहीं माना गया। साथ ही पूर्व माह के ऑनलाईन गेहूँ प्राप्त वितरण के अवलोकन को भी दृष्टिगत किया गया तथा अप्रार्थी का पूर्व का 5834 किग्रा बकाया रहा के सन्दर्भ में आवंटन अनुसार वितरण को आक्षेपित किया जाकर पूर्व प्रकरण संख्या 44/2022 दिनांक 29.3.2022 का दर्ज होने का कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.03.2022 का जिक्र करते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थी जानबुझकर खाद्यान्न गबन व अनियमितता जाहिर कर प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 12, 17, 18 सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियमो का उल्लंघन प्रमाणित मानते हुए प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर अपीलार्थी अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर, उसके विरूद्ध भा0द0सं0 व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के तहत सबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कदाचित ध्यान ही नहीं दिया कि उक्त अपीलार्थी/अप्रार्थी पिछले 32–33 वर्षो से रसद सामग्री वितरण का कार्य ईमानदारी पूर्वक करता चला आ रहा है एवं उसे कभी भी किसी अनियमितता एवं अनिष्ठा के लिये आरोपित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कदाचित इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि उक्त प्रकरण में अनियमितता बाबत रिपोर्ट/शिकायत पत्र अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया 09.05.2022 प्रस्तुत कर परिवहन कर्ता को आक्षेपित कर प्रस्तुत की गई परिवहनकर्ता व उनके कर्मचारियो के विरूद्ध प्रस्तुत की एवं उसके पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय/प्रत्यर्थी द्वारा जॉच करवाई गई, इसके पश्चात निरीक्षक श्री राहुल भँवरिया द्वारा की गई जॉच में अपीलार्थी/अप्रार्थी की दुकान पर उपलब्ध गेहूँ व पोस मशीन में दर्ज गेहूँ समान पाया गया किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई एवं उक्त जॉच के समय अपीलार्थी व स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की गई। यहॉ यह वर्णित किया जाना भी आवश्यक है कि अपीलार्थी की शिकायत पर तत्समय परिवहन कर्ता कम्पनी के कर्मचारियो अधिकारियो से शिकायत सबंधी कोई पूछताछ नहीं की गई, जॉव को केवल अपीलार्थी पर केन्द्रित कर दिया एवं मामले की सम्यक जॉच ही नहीं की गई एवं आधा अधूरी जांच जो केवल शिकायकर्ता/अपीलार्थी की ही की, आक्षेपित व्यक्ति के विरूद्ध जॉच नहीं की गई एवं अधुरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई इसके पश्चात उक्त एक पक्षीय जांच के आधार पर बिना किसी सम्यक कारण के अपीलार्थी की दुकान 21820 को दिनांक 27.5.2022 के आदेश से निलम्बित कर दिया, जिससे अपीलार्थी को घोर परेशानियो का सामना करना पड़ा इसके पश्चात उक्त आदेश के उपरांत दिनांक 14.6.2022 को दुकान चार्ज आदान प्रदान के समय भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता अपीलार्थी की दुकान व पोश मशीन में नहीं रही। दिनांक 27.05.2022 को अपीलार्थी अप्रार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी हुई कि उसकी दुकान को अवैधानिक रूप से निलम्बित कर दिया गया है, एवं परिवहन कर्तागण के विरूद्ध सम्यक जॉच नहीं करके अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप संधारित किये जा रहे है जिससे व्यथित क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपने लॉ फर्म

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

सोनी एरीना के अधिवक्ता श्री प्रीतमसिंह सोनी व डॉ0 जिनेश सोनी एडवोकेट्स के माध्यम से एक सूचना पत्र दिनांक 03.06.2022 प्रत्यर्थी व श्री राहुल भॉवरिया व श्रीमति मीणा अग्रवाल पत्नि श्री सुरेन्द्र अग्रवाल भास्कर इण्डस्ट्री जो परिवहनकर्ता फर्म का स्वामी है, को प्रेषित करवाया एवं उक्त सूचना पत्र के माध्यम से परिवहनकर्ता फर्म द्वारा किये गये अपकृत्यो के सबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 03.06.2022 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश प्रसारित किये एवं दिनांक 13.06.2022 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा सही व वास्तविक तथ्यों को वर्णित करते हुए प्रत्यर्थी के सक्षम प्रस्तुत किया। उक्त जवाब के माध्यम से अपीलार्थी ने अपनी दुकान संख्या– 21/820 के अप्रैल माह पी एम जी के ऐ वाये योजना के कुल वजन 9034 किग्रा को पिकअप से कॉटा करवा कर खाली किये जाने के सन्दर्भ में जवाब देकर स्पष्ट किया कि अपीलार्थी को केवल मात्र 3200 किग्रा गेहूं प्राप्त हुआ एवं उक्त 3200 किग्रा गेहुं की रसीद अपीलार्थी द्वारा परिवहन कर्ता को प्रदत्त कर दी गई अपने जवाब नोटिस के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट किया कि परिवहनकर्ता द्वारा उसे कोई कांटा पर्ची उपलब्ध नहीं करवाई गई थी एवं यदि कांटा पर्ची उपलब्ध करवाई गई होती तो उस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होते एवं जो चालान दिया गया है, उसकी समुचित जॉच करने पर एवं अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि उस पर परिवहन कर्ता एवं ड्राईवर के कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं कांटा पर्ची जो प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत होना जाहिर किया गया वह वाहन संख्या आर.जे. 01 जी सी 6425 की प्रस्तुत करी जो कि गाड़ी दिनांक 01.05.2022 को 11.41 पर वजन होना बतलाया एवं 12.49 पर खाली गाड़ी का वजन होना बतलाया, उपरोक्त वाहन संख्या व वजन अनुसार अपीलार्थी को कोई चालान नहीं दिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी परिवहन कर्ता के विरूद्व शिकायत प्रस्तुत कर रखी थी, एवं श्री राहुल भॉवरिया द्वारा जॉच में भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, इसके अलावा परिवहन कर्ता द्वारा शिकायत पत्र में यह भी निवेदन किया गया कि जो सप्लाई अपीलार्थी को बतलाई है वह एक माह पुराने है जो ठेकेदार को बार बार मांग करने के उपरांत प्राप्त हुई थी अपीलार्थी द्वारा शिकायत पत्र में स्पष्ट किया था कि 184 कट्टो में से 68 कट्टे प्लास्टिक के थे, जिसमें से 60 कट्टे हाथ के लिसे हुए थे, जिससे साफ स्पष्ट है कि परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारियो द्वारा कट्टो के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस सबंध में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई समुचित जॉच नहीं की गई अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपो के सन्दर्भ में अपीलार्थी ने अपने उपरोक्त जवाब के माध्यम से सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिया जिसके सन्दर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा कोई जॉच नहीं की गई, केवल मात्र असत्य व आधारहीन तथ्यों व तथाकथित जॉच रिपोर्ट का अनर्गल अर्थ लगाकर अपीलार्थी की दुकान निलम्बित व निरस्त कर दी। दिनांक 27.05.2022 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी की दुकान को निलम्बित किया गया उक्त निलम्बन दिनांक 27.05.2022 से अर्सा मयाद 90 दिवस में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी की दुकान व उसका प्राधिकार पत्र विधि अनुसार बहाल किया जाना न्यायोचित था, प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर दिनांक 18.10.2017 आदेश कमांक एफ 17 (45) खा.वि/न्याय/2011 श्रीमान् राजीव सिंह ठाकुर शासन सचिव खाद्य उपार्युक्त एवं उपशासन सचिव व राज सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर दिनांक 22.11.2017 आदेश कमांक एफ 17(45)खा.वि./न्याय/76 अन्जू

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

राजपाल उपार्युक्त एवं शासन सचिव के उपरोक्त आदेशो के अनुसार निलम्बन की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण 90 दिन में किया जाना आवश्यक है किन्तु यदि 90 दिन तक आदेश प्रसारित नहीं किया जाता है तो प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी द्वारा ट्रक चालान जो 09.04.2022 का जारी करने की तिथि है, उक्त गेहूँ दिनांक 01.05.2022 को 3200 किग्रा अपीलार्थी को प्राप्त हुआ, जिस पर परिवहन कर्ता व वाहन ड्राईवर आदि के हस्ताक्षर भी नहीं है, एवं परिवहन कर्ता द्वारा गेहूँ जारी होने की दिनांक से कई कई दिनो तक गेहूँ की सप्लाई डीलरो को नहीं की जाती है जिसके सन्दर्भ में ट्रक चालान भी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा डीलरो की शिकायतो के सन्दर्भ में ट्रक चालान भी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा डीलरो की शिकायतो के सन्दर्भ में ऑल इण्डिया फेयर प्राईज शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा समय समय पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, व राज्यपाल महोदय एवं अन्य अधिकारीगण को ठेकेदार फर्म की अनियमितताओ के सबंध शिकायते दी, ठेकेदार फर्म मारूति एन्टरप्राईजेज व भास्कर इण्डस्ट्रीज के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा विभागीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके सन्दर्भ में शिकायतो की कोई जॉच नहीं हुई, अपीलार्थी द्वारा परिवहन कर्ता के विरूद्ध दी गई शिकायतो की समुचित जॉच नहीं करके अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। परिवहनकर्त्ता कम्पनी भास्कर इण्डस्ट्रीज में हो रहे भ्रष्टाचार जो जग जाहिर है, जिसमें उसके कर्मचारियो द्वारा गेहूँ वितरण व पोषाहार वितरण में भारी भ्रष्टाचार किया है इसके सन्दर्भ में एक एफआई आर संख्या 0463/दिनांक 05.10.2022 को उक्त परिवहन कर्ता कम्पनी द्वारा स्वयं अपने अधिकृत प्रतिनिधी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है जिससे स्पष्ट है कि परिवहन कर्ता कम्पनी भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिवहन कर्ता कम्पनी के विरूद्व कोई कार्यवाही नही करके समुचित जॉच नहीं करके भारी भूल की है एवं केवल अपीलार्थी को उसके द्वारा दी गई शिकायत के कारण कार्यवाहीयॉ अमल में लाई जा रही है एवं साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुरूप अपीलार्थी को समुचित रूप से प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया केवल मात्र फोरमरटीज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय व आदेश प्रसारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की दुकान संख्या 21820 के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करे।

जवाब में उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 9.04.2022 को जारी चालान 1155.250 किग्रा गेहूँ 11.04.2022 को 6971 केजी गेहूँ एवं 18.4.2022 को 883.650 केजी गेहूँ का चालान जारी किया गया था कुल गेहूँ 9010 केजी गेहूँ दिनांक 09.05.2022 को एफपीएस 21820 पर सप्लाई किया गया। अप्रैल 2022 PMGKAY गेहूँ के 9034 केजी का चालान दिनांक 09.04.2022 को जारी किया गया जिसके सबंध में श्री सतीश चन्द ने बताया कि 3200 केजी गेहूँ प्राप्त हो गया है लेकिन 5834 केजी (9034–3200 केजी) गेहूँ आज दिनांक 10.05.2022 तक भी प्राप्त नहीं हुआ है और ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा फोन करके पुरा PMGKAY अप्रेल का गेहूँ ऑनलाइन रिसिव करने के लिए धमकाया जा रहा है। दिनांक 09.05.2022 को उचित मूल्य दुकान 21820 पर ठेकेदार (मेसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज झुन्झूनू) द्वारा सप्लाई किए गए 9010 गेहूँ (184 कट्टे) में 68 कट्टे प्लास्टीक के आए थे जिनमें से 43 कट्टे हाथ से सिलाई किए हुए है जो कि एफसीआई से आए प्रतीत नहीं होते है। हाथ से सिले हुए कट्टो में से रेन्डमली चार कट्टे खोलने पर 2 कट्टो में खराब गेहूँ पाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

किस्म मुकदमा:-

इस प्रकार 5834 किग्रा गेहूँ का गबन परिलक्षित होने के कम में राशन डीलर श्री सतीश चन्द द्वारा खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता किया जाना प्रकट होने पर श्री सतीश चन्द को जारी उचित मूल्य दुकान कोड 21820 का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.05.2022 को निलंबित किया तत्पश्चात् कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 20.09.2022 प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट/डीलर द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी राशन डीलर से प्राप्त शिकायत की जांच में राशन डीलर की उचित मूल्य दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत माह अप्रेल 2022 के कुल 9034 किग्रा गेहूँ का चालान दिनांक 09.04.2022 को जारी किया गया। जिसमें से 3200 किग्रा गेहूँ ही उचित मूल्य दुकान पर मिला एवं शेष 5834 किग्रा गेहूँ उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध नहीं होने से वितरण कार्य प्रभावित हुआ है। साथ ही 5834 किग्रा गेहूँ की मात्रा को पोस मशीन में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार 5834 किग्रा गेहूँ का गबन परिलक्षित होने के कम में राशन डीलर श्री सतीश चन्द्र द्वारा खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता किया जाना प्रकट होने पर श्री सतीश चन्द को जारी उचित मूल्य दुकान कोड 21820 जिला रसद अधिकारी, प्रथम अजमेर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञापत्र, आदेश कमांक 246 दिनांक 27.05.2022 से निलम्बित किया जाकर विभागीय प्रकरण संख्या 44/2022 एवं 69/2022 दर्ज कर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। तदोपरान्त विधिवत सुनवाई पश्चात् जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा आदेश 487 दिनांक 20.09.2022 से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ आक्षेपित आदेश की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को मामले में जवाब सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच में उनके द्वारा विभागीय आदेशो व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11, 12, 17 एवं 18 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। चूंकि अपीलान्ट/डीलर के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर ही जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है लिहाजा रेस्पोडेन्ट द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं लिहाजा अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2022 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर अजमेर